

**ACTION HISTORY OF RTI REQUEST No.DITEC/R/E/21/00539**

**Applicant Name** vaibhav vinod sonawane

**Text of Application** To The Public Information Officer Ministry of Electronic & Information Technology Delhi Sir/Madam Sub :- Application Seeking Information under RTI Act ,2005 It is requested to provide following information Under RTI Act , 2005 PFA Given below

**Reply of Application** the information in respect of your application is attached.

<b>SN.</b>	<b>Action Taken</b>	<b>Date of Action</b>	<b>Action Taken By</b>	<b>Remarks</b>
1	RTI REQUEST RECEIVED	28/04/2021	Nodal Officer	
2	REQUEST FORWARDED TO CPIO	29/04/2021	Nodal Officer	Forwarded to CPIO(s) : (1) Surendra Singh(HRD)
3	REQUEST DISPOSED OF	15/07/2021	Surendra Singh(HRD)- (CPIO)	

[Print](#)

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी

**Ministry of Electronics and Information Technology**

दिल्ली

सर / मैडम

विषय :- आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन की जानकारी

### सूचना का विवरण

**सूचना का विषय:-** प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA) योजना CSC e-Governance Services India Limited (CSC SPV) के ट्रेनिंग सेंटर इस योजना में प्रशिक्षण दे रहे हैं , pmgdisha.in/app/login इस लिंक के माध्यम से Training Center लॉगिन कर ते हैं, पोर्टल में लेफ्ट साईड में एक टैब है Panchayat Approval Form DOC ,प्रशिक्षण केंद्र को Panchayat Approval Form को डाउनलोड करना होगा और डिजिटल निरक्षर उम्मीदवारों का विवरण भरना होगा और पंचायत प्रधान / बीडीओ / तहसीलदार के हस्ताक्षर और मुहर के बाद Panchayat Approval Form को पोर्टल पर अपलोड करना है ।

**वह अवधि जिससे जानकारी संबंधित है:- 2017 To 27/04/2021**

### आवश्यक जानकारी का विशिष्ट विवरण:-

1) महाराष्ट्र राज्य में PMGDISHA योजना के तहत प्रशिक्षण प्रदान करने वाले कितने प्रशिक्षण केंद्रों ने नियम के अनुसार Panchayat Approval Form भरा है और पंचायत प्रधान / बीडीओ / तहसीलदार के हस्ताक्षर और मुहर के साथ पोर्टल पर अपलोड किया है, और कितने प्रशिक्षण केंद्रों ने Panchayat Approval Form भरकर अपलोड नहीं किया है ऐसे प्रशिक्षण केंद्र कि जाणकारी दिजिये (उपरोक्त जानकारी महाराष्ट्र राज्य के प्रत्येक जिले के अनुसार संख्यांक (अंको) के रूप में दीजाये) (निचे दिये गये फॉर्मट जैसे)

District	Upload	Not Upload
Latur	00	01

2) प्रशिक्षण केंद्र के Panchayat Approval Form, CSC के माध्यम से verification कैसे किये गये उसकी जाणकारी दिजिये .

3) यदि पुष्टि उस अधिकारी से चर्चा करने के बाद की गई है जिसने csc के Panchayat Approval Form पर हस्ताक्षर किए हैं .



4) CSC ने महाराष्ट्र में Pmgdisha योजना के तहत कितने प्रशिक्षण केंद्रों के Panchayat Approval Form का verification किया है तो जाणकारी दिजिये. (उपरोक्त जानकारी महाराष्ट्र राज्य के प्रत्येक जिले के अनुसार संख्यांक (अंको) के रूप में दीजाये)

5) इस योजना का लाभ उठाने के लिए (eligible households), एक परिवार से केवल एक सदस्य ही इसकी ट्रेनिंग ले सकता है इस का Verification CSC के और से किस तह्हा किया है जाणकारी दिजिये.

6) महाराष्ट्र में ऐसे कितने प्रशिक्षण केंद्रों ने Panchayat Approval Form भरकर अपलोड नहीं किया है तो भी उन्हाके INVOICE Paid किये गये जाणकारी दिजिये. (उपरोक्त जानकारी महाराष्ट्र राज्य के प्रत्येक जिले के अनुसार संख्यांक (अंको) के रूप में दीजाये)

7) (PMGDISHA) योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लागू है प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षित छात्र एक ग्रामीण क्षेत्र से है, इस का Verification csc के और से किया है तो किस तह्हा से किया है जाणकारी दिजिये

---



**From :** Urvashi Tyagi <urvashi.tyagi@csc.gov.in>  
**Subject :** RE: REMINDER - I - Seeking Information of 5 (nos.) of RTI applications under RTI Act, 2005 - reg.  
**To :** Devsheesh Saxena <devsheesh.saxena@csc.gov.in>  
**Cc :** Rishikesh Patankar <rishikesh@csc.gov.in>, Shankar Das <sdas@meity.gov.in>, Ashwani Kumar <ashwani.kumar587@csc.gov.in>

Mon, Jul 12, 2021 01:23 PM

 1 attachment

Dear Sir,

As per our discussion, please find the updated reply of the RTI received from Shri Vaibhav Vinod Sonawane.

---

**From:** Urvashi Tyagi [mailto:urvashi.tyagi@csc.gov.in]  
**Sent:** Thursday, July 8, 2021 2:03 PM  
**To:** Devsheesh Saxena  
**Cc:** Rishikesh Patankar; Shankar Das; Ashwani Kumar  
**Subject:** Re: REMINDER - I - Seeking Information of 5 (nos.) of RTI applications under RTI Act, 2005 - reg.

Dear Sir,

Please find the updated reply.

भारत सरकार  
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
(एच.आर.डी. डिवीजन)

दिनांक: ०५.०७.२०२१

**विषय:** सूचना अधिकार अधिनियम-२००५ के अंतर्गत श्री वैभव विनोद सोनावणे से प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटलसाक्षरता अभियान के विषय में सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में आवेदन संख्या डीआईटीईसी/आर/ई/२१/००५३९ दिनांक २८.०४.२०२१ को प्राप्त हुई

सीएससी-एसपीवी (CSC-SPV) से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रश्नानुसार उत्तर निम्नलिखित हैं:

क्रम संख्या	आरटीई प्रश्न	प्रश्नानुसार उत्तर
१.	<p>सूचना का विषय: - प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA) योजना CSC e-Governance Services India Limited(CSC SPV) के ट्रेनिंग सेंटर इस योजना मे प्रशिक्षण दे रहे है, pmgdisha.in/app/login इस लिंक के माध्यम से Training Center लॉगिन कर ते है, पोर्टल मे लेफ्ट साईड मे एक टॅब है Panchayat Approval Form DOC, प्रशिक्षण केंद्र को Panchayat Approval Form को डाउनलोड करना होगा और डिजिटल निरक्षर उम्मीदवारों का विवरण भरना होगा और पंचायत प्रधान/बीडीओ/ तहसीलदार के हस्ताक्षर और मुहर के बाद Panchayat Approval Form को पोर्टल पर अपलोड करना है</p> <p>वह अवधि जिससे जानकारी संबंधित है :- 2017 To 27/04/2021</p> <p>आवश्यक जानकारी का विशिष्ट विवरण:-</p> <p>1) महाराष्ट्र राज्य में PMGDISHA योजना के तहत प्रशिक्षण प्रदान करने वाले कितने प्रशिक्षण केंद्रों ने नियम के अनुसार Panchayat Approval Form भरा है और पंचायत प्रधान/बीडीओ/तहसीलदार के हस्ताक्षर और मुहर के साथ पोर्टल पर अपलोड किया है, और कितने प्रशिक्षण केंद्रों ने Panchayat Approval Form भरकर अपलोड नहीं किया है ऐसे प्रशिक्षण केंद्र कि जाणकारी दिजिये (उपरोक्त जानकारी महाराष्ट्र</p>	<p>1. दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य है; पीएमजीदिशा (PMGDISHA) टीम यह जांचने के लिए सिस्टम का ऑडिट करती है। माँगी गई जानकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(डी) के तहत अस्वीकार कर दिया गया है।</p>

राज्य के प्रत्येक जिले के अनुसार संख्यांक (अंको) के रूप में दीजाये) (निचे दिये गये फॉर्मट जैसे)			<p>2. पीएमजीदिशा (PMGDISHA) टीम के द्वारा सत्यापन किया जा रहा है।</p> <p>3. हाँ, पुष्टि सम्बंधित अधिकारी से चर्चा करने के बाद ही की गई है।</p> <p>4. माँगी गई जानकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(डी) के तहत अस्वीकार कर दिया गया है।</p> <p>5. कृपया पीएमजीदिशा योजना के दिशानिर्देशों के लिए <a href="https://www.pmgdisha.in/wp-content/uploads/2017/11/Hindi_PMGDISHA_guidelines1.pdf">https://www.pmgdisha.in/wp-content/uploads/2017/11/Hindi_PMGDISHA_guidelines1.pdf</a> पर जाएं।</p> <p>6. आपके द्वारा मांगे गए भुगतान विवरण को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(डी) के तहत अस्वीकार कर दिया गया है।</p> <p>7. सत्यापन प्रशिक्षण केंद्र द्वारा अपलोड किए गए पंचायत दस्तावेज के माध्यम से किया गया है, जिस पर पंचायत प्रमुख द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि पंचायत फॉर्म में उल्लिखित उम्मीदवार परियोजना के दिशानिर्देशों के अनुसार योजना के लिए पात्र हैं।</p>
District	Upload	Not Upload	
Latur	00	01	

2) प्रशिक्षण केंद्र के Panchayat Approval Form, CSC के माध्यम से verification कैसे किये गये उसकी जाणकारी दिजिये।

3) यदि पुष्टि उस अधिकारी से चर्चा करने के बाद की गई है जिसने CSC के Panchayat Approval Form पर हस्ताक्षर किए हैं।

4) CSC ने महाराष्ट्र में PMGDISHA योजना के तहत कितने प्रशिक्षण केंद्रों के Panchayat Approval Form का verification किया है तो जाणकारी दिजिये। (उपरोक्त जानकारी महाराष्ट्र राज्य के प्रत्येक जिले के अनुसार संख्यांक (अंको) के रूप में दिजिये)।

5) इस योजना का लाभ उठाने के लिए (eligible households), एक परिवार से केवल एक सदस्य ही इसकी ट्रेनिंग ले सकता है इस का Verification CSC के और से किस तहा किया है जाणकारी दिजिये।

6) महाराष्ट्र में ऐसे कितने प्रशिक्षण केंद्रों ने Panchayat Approval Form भरकर अपलोड नहीं किया है तो भी उन्हाके INVOICE Paid किये गये जाणकारी दिजिये। (उपरोक्त जानकारी महाराष्ट्र राज्य के प्रत्येक जिले के अनुसार संख्यांक (अंको) के रूप में दीजिये)।

7) (PMGDISHA) योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लागू है प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षित छात्र एक ग्रामीण क्षेत्र से है, इस का verification csc के और से किया है तो किस तहा से किया है जाणकारी दिजिये।

\*\*\*\*\*